



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक सम्बत्) [संख्या-24

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	323-351	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	149-152	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	275-281	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

13 मई, 2026 ई0

संख्या-183/XXXVI-A-1/2026-8-एक(5)/2006 (E-92968)-राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2026

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2026 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 3 के विद्यमान उपनियम (1) एवं उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान उपनियम		एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम	
(1)	राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित बाईस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।	(1)	राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित तेईस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
(2)	राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित पदेन सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्-	(2)	राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित पदेन सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्-
(i)	अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	(i)	अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
(ii)	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड	(ii)	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड
(iii)	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	(iii)	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
(iv)	प्रमुख सचिव, वित्त	(iv)	प्रमुख सचिव, वित्त
(v)	प्रमुख सचिव, न्याय	(v)	प्रमुख सचिव, न्याय
(vi)	प्रमुख सचिव, राजस्व	(vi)	प्रमुख सचिव, राजस्व
(vii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग	(vii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग
(viii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक परिषद् (बार काउंसिल)	(viii)	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक परिषद् (बार काउंसिल)

(ix) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग	(ix) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग
(x) उत्तराखण्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक	(x) उत्तराखण्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक
(xi) सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	(xi) सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
(xii) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।	(xii) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए
(xiii) महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड	(xiii) महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
(xiv) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग	(xiv) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग
	(xv) सचिव/निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

नियम 11 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 11 के विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) जिला प्राधिकरण में उप नियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-	(2) जिला प्राधिकरण में उपनियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:-
(क) जिला अधिकारी	(क) जिला अधिकारी
(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति,	(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति
(ग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	(ग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(घ) जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल),	(घ) जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)
(ङ) जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध),	(ङ) जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध)
(च) जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),	(च) जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)
(छ) जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष	(छ) जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
	(ज) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

नियम 16 का संशोधन 4. मूल नियमावली में नियम 16 के क्रम संख्या (12) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:-

“(13) तेजाब हमले में जीवित बचे लोग (Acid Victims Survivors)”

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरौही,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 183/XXXVI-A-1/2026-8 ek (5)/2006 (E-92968)**, dated May 13, 2026 for general information:

NOTIFICATION

May 13, 2026

No. 183/XXXVI-A-1/2026-8 ek (5)/2006 (E-92968)--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice, High Court of Uttarakhand, Nainital, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand State Legal Services Authority Rules, 2006:-

The Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2026

- | | |
|------------------------------|--|
| Short title and Commencement | 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2026.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of Rule 3 | 2. In the Uttarakhand State Legal Services Authority Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules) for existing sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 3 as set out in column-1 below, the sub-rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:- |

Column-1		Column-2	
Existing sub-rules		Hereby substituted sub-rules	
(1)	The State Authority shall, including its Patron-in-Chief and the Executive Chairman not more than twenty two Members.	(1)	The State Authority including its Patron-in-Chief and the Executive Chairman shall not exceed twenty three Members.
(2)	The following shall be ex-officio members of the State Authority, namely:-	(2)	The following shall be ex-officio members of the State Authority, namely:-
(i)	Chairman, High Court Legal Services Committee;	(i)	Chairman, High Court Legal Services Committee
(ii)	Advocate General of Uttarakhand	(ii)	Advocate General of Uttarakhand
(iii)	Registrar General, High Court of Uttarakhand	(iii)	Registrar General, High Court of Uttarakhand
(iv)	Principal Secretary in the Department of Finance;	(iv)	Principal Secretary, Finance

(v)	Principal Secretary in the Department of Law	(v)	Principal Secretary, Law
(vi)	Principal Secretary in the Department of Revenue;	(vi)	Principal Secretary, Revenue
(vii)	Chairman, Uttarakhand State Commission for Women	(vii)	Chairman, Uttarakhand State Commission for Women
(viii)	Chairman of the Bar Council of Uttarakhand State	(viii)	Chairman of the Bar Council of Uttarakhand State
(ix)	Chairman, Scheduled Castes Commission, Uttarakhand	(ix)	Chairman, Scheduled Castes Commission, Uttarakhand
(x)	Director General of Police of the Uttarakhand State	(x)	Director General of Police of the Uttarakhand State
(xi)	Secretary in the Social Welfare Department;	(xi)	Secretary/Director, Social Welfare Department, Uttarakhand
(xii)	Two Chairman of the District Authority, as may be nominated by the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court	(xii)	Two Chairman of the District Authority, as may be nominated by the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court
(xiii)	Director General, Medical, Health and Family Welfare, Uttarakhand	(xiii)	Director General, Medical, Health and Family Welfare, Uttarakhand
(xiv)	Chairman, Scheduled Tribes Commission, Uttarakhand	(xiv)	Chairman, Scheduled Tribes Commission, Uttarakhand
		(xv)	Secretary/Director, State Soldier Board, Department of Soldier Welfare, Uttarakhand

Amendment of Rule 11 3. In the principal rules, for existing sub-rule (2) of rule 11 as set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1		Column-2	
Existing sub-rule		Hereby substituted sub-rule	
(2)	In addition to members nominated under sub-rule (3), a District Authority shall consist of the following ex-officio members-	(2)	In addition to members nominated under sub-rule (3), the District Authority shall consist of the following ex-officio members:-
	(a) District Magistrate;		(a) District Magistrate
	(b) Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be;		(b) Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be
	(c) Chief Judicial Magistrate;		(c) Chief Judicial Magistrate

(d) District Government Counsel (Civil);	(d) District Government Counsel (Civil)
(e) District Government Counsel (Criminal);	(e) District Government Counsel (Criminal)
(f) District Government Counsel (Revenue);	(f) District Government Counsel (Revenue)
(g) President of the Bar Association;	(g) President of the District Bar Association
	(h) District Soldier Welfare Officer

Amendment of Rule 16

4. In the principal rules, after serial number (12) of rule 16, the following serial number shall be added namely:-

"(13) Acid Victims Survivors"

By Order,
AMIT KUMAR SIROHI,
Principal Secretary.

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

03 जून, 2026 ई०

संख्या-08 नो-आई/XXXVI-A-1/2026-06 नो-आई/2007-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री जगदीश सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 03-06-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री जगदीश सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 08 No-I/XXXVI-A-1/2026-06 No-I/2007**, dated June 03, 2026.

NOTIFICATION

Appointment

June 03, 2026

No. 08 No-I/XXXVI-A-1/2026-06 No-I/2007--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Jagdish Singh, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 03-06-2026 for Tehsil Dharchula District Pithoragarh and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Jagdish Singh** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

03 जून, 2026 ई०

संख्या-15 नो-एम/XXXVI-A-1/2026-44 नो-एम/2010-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री चन्द्र सिंह कन्याल, अधिवक्ता को दिनांक 03-06-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रुल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री चन्द्र सिंह कन्याल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरोही,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 15 No-M/XXXVI-A-1/2026-44 No-M/2010**, dated June 03, 2026.

NOTIFICATION

Appointment

June 03, 2026

No. 15 No-M/XXXVI-A-1/2026-44 No-M/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Chandra Singh Kanyal, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 03-06-2026 for Tehsil Khatima District Udham Singh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Chandra Singh Kanyal** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

AMIT KUMAR SIROHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

26 मई, 2026 ई0

संख्या-274/XVIII(3)2026-07(60)2008-राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यरत चकबन्दी कार्मिकों के समायोजन हेतु निम्नवत् नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड राज्य (चकबन्दी कार्मिकों का समायोजन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य (चकबन्दी कार्मिकों का समायोजन) नियमावली, 2026" है।
(2) यह नियमावली, उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के कार्यरत चकबन्दी कार्मिकों के पदों पर, समायोजन हेतु लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव होगा।
जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-

परिभाषाएं

3. (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से नियमावली के अधीन चकबन्दी में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के/पदों पर, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "चकबन्दी कार्मिकों" से उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के कार्यरत एवं उत्तराखण्ड राज्य से सेवानिवृत्त चकबन्दी कार्मिक अभिप्रेत है ;
(ग) "सेवानिवृत्त चकबन्दी कार्मिकों" से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड राज्य में सेवा निवृत्त चकबन्दी कार्मिक अभिप्रेत है;
(घ) "उपलब्ध रिक्ति" से ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है, जो समायोजन की तारीख को उत्तराखण्ड राज्य हेतु चकबन्दी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हो;
(ङ) "नियमावली" से उत्तर प्रदेश चकबन्दी विभाग लिपिक और रेखांकन कर्मचारिवर्ग नियमावली, 1980, उत्तर प्रदेश चकबन्दीकर्ता नियमावली, 1978, उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली, 1992, उत्तर प्रदेश

राजस्व चकबंदी सेवा नियमावली, 1992 एवं उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल सेवा नियमावली, 2006, और समय-समय पर संशोधित उक्त नियमावलियां अभिप्रेत हैं;

परन्तु, समायोजन के पश्चात्, उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली, 2018 एवं उत्तराखण्ड राजस्व चकबंदी (उच्चतर) सेवा नियमावली, 2021 लागू होगी और अन्य के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावलियां तब तक प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा तत्संबंध में सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं कर दी जाती है;

(च) "आयोग" से समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर चयन हेतु "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग" तथा समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" अभिप्रेत है;

(छ) "चकबन्दी विभाग" से "उत्तराखण्ड राज्य चकबन्दी विभाग" अभिप्रेत है;

(ज) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(झ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इससे पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) "सेवा" से उत्तराखण्ड चकबन्दी (राजस्व विभाग) सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

समायोजन हेतु
पात्रता

4. (1) पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में मौलिक रूप से नियुक्त चकबन्दी कार्मिक, जो उत्तराखण्ड राज्य की चकबन्दी इकाई में कार्यरत/तैनात हैं, को उत्तराखण्ड चकबन्दी विभाग में समायोजन हेतु पात्र माना जायेगा।
- (2) समायोजन, सम्बन्धित कार्मिक की सहमति प्राप्त करने के उपरांत उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से कार्यरत होने के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में सृजित पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

समायोजन हेतु शर्तों का निर्धारण

5. (1) चकबन्दी में कार्यरत कार्मिकों को पूर्ववर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश में पद प्राप्ति के अनुसार ही, वह जिस वेतनमान/पदनाम में तैनात हैं, उसी वेतनमान/पदनाम में समायोजन किया जायेगा।

(2) उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी अधिष्ठान में समायोजन के आदेश में इंगित तारीख संबंधित कार्मिक की चकबन्दी में समायोजित होने की दिनांक मानी जाएगी:

परन्तु उनकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा संबंधी मामले, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में मौलिक नियुक्ति की दिनांक से सुसंगत सेवा नियमावलीयों के अंतर्गत व्यवहृत होंगे।

ii (3) उत्तराखण्ड राज्य में समायोजन के पश्चात् सम्बन्धित चकबन्दी कार्मिकों की ज्येष्ठता उनकी पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में निर्धारित पारस्परिक ज्येष्ठता के अनुसार ही मानी जाएगी। अन्य दशाओं में ज्येष्ठता का निर्धारण, उनकी मौलिक नियुक्ति की दिनांक के आधार पर "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" अथवा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(4) समायोजित होने वाले कार्मिकों के उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश इत्यादि की गणना चकबन्दी विभाग में पूर्व में उपार्जित अवकाश/चिकित्सा अवकाश इत्यादि के साथ जोड़कर की जायेगी।

(5) समस्त अर्ह कार्मिकों के जी0पी0एफ0/एन0 पी0 एस0/ई0पी0एफ0 आदि की राशि उनके सम्बन्धित निधि लेखे में अन्तर्गत होगी। जी0पी0एफ0/ एन0पी0एस0/ई0पी0एफ0 आदि के निकासी की मांग, पूर्व में जमा अवशेष धनराशि के आधार पर की जाएगी। पूर्व में लिए गए ऋण/भविष्य निधि से लिये गए अग्रिम की कटौतियाँ, पूर्व की भाँति निर्धारित शर्तों पर की जाएगी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत नियम लागू होंगे।

(6) समायोजन की दिनांक को, यदि कोई कार्मिक नियमावली में स्थायीकरण हेतु विहित अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी विहित अवधि पूर्ण करने पर उसका स्थायीकरण कर सकेगा।

(7) चकबन्दी विभाग के स्वीकृत ढाँचे में विभिन्न पद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के लिये निर्दिष्ट हैं। सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के स्वीकृत पदों के सापेक्ष समायोजन केवल, उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के कार्यरत एवं उत्तराखण्ड राज्य से सेवानिवृत्त कार्मिकों/पदों की संख्या की सीमा तक अनुमन्य होगा।

(8) ऐसे कार्मिक, जो उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत थे

तथा सेवाकाल में उनकी मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नियुक्ति दी गयी, ऐसे नियुक्त मृतक आश्रितों को भी समायोजन में सम्मिलित किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत/सेवा के दौरान मृत, जिन मृतक कार्मिकों के आश्रितों को वर्तमान तक मृतक आश्रित का लाभ प्राप्त न हुआ हो, उन्हें मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवायोजित/समायोजित किया जायेगा।

(9) ऐसे कार्मिक, जो उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी इकाइयों में कार्यरत थे तथा उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत रहते हुए ही सेवानिवृत्त हो गये, वह समस्त सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

संगत सेवा नियमावली के
अधीन नियुक्त समझा
जाना

6.

(1) इस नियमावली के अधीन किया गया समायोजन चकबन्दी विभाग में उनके पदनाम/वेतनमान की मौलिक नियुक्ति की दिनांक से सुसंगत नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जाएगी।

(2) समायोजित होने वाले कार्मिकों से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन समायोजन हेतु सहमत है अथवा नहीं। यदि कोई कार्मिक अपने पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश/विभाग में प्रत्यावर्तन चाहे, तो उसके लिए यह विकल्प, इस नियमावली के अधिसूचित होने की दिनांक से 01 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार, अपने पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश/विभाग को प्रत्यावर्तित होने वाला कार्मिक, किसी प्रकार के प्रतिकर आदि का हकदार नहीं होगा।

(3) उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् राज्य में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के कारण चकबन्दी अधिष्ठान हेतु ढाँचे में सृजित पदों में चतुर्थ श्रेणी के पद आउटसोर्स के रूप में सृजित हैं:

परन्तु, उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी इकाइयों में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा सृजित चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने तक उतने पद उनके लिए सृजित समझे जायेंगे। उक्त पदों पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर उक्त पद स्वतः ही आउटसोर्स के अंतर्गत सृजित समझे जायेंगे।

निरस्तन तथा अपवाद

7.

(1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तराखण्ड राज्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के कार्यरत चकबन्दी कार्मिकों पर लागू होते थे, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं;

(2) उपनियम (1) के अधीन निरसित किये गये नियमों

कठिनाईयों को दूर करने
की शक्ति

8.

के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ, कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 274/XVIII(3)2026-07(60)2008**, dated May 26, 2026 for general information:

NOTIFICATION

May 26, 2026

No. 274/XVIII(3)2026-07(60)2008--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on this subject, the Governor is pleased to hereby makes the following rules for the adjustment of Consolidation personnel in the State of Uttarakhand:--

The Uttarakhand State (Adjustment of Consolidation Personnel) Rules, 2026

- | | |
|--|--|
| Short title,
extent and
commencement | 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand State (Adjustment of Consolidation Personnel) Rules, 2026.
(2) These rules shall be applicable for the adjustment of Consolidation personnel working in the erstwhile State of Uttar Pradesh in the State of Uttarakhand.
(3) It shall come into force at once. |
| Overriding effect | 2. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rule or orders, these rules shall have overriding effect. |
| Definitions | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: -
(a) "Appointing Authority" means the authority competent to make appointments to the posts of working and retired personnel in consolidation under these rules. |

- (b) "Consolidation Personnel" means the consolidation personnel of the erstwhile State of Uttar Pradesh working in the State of Uttarakhand and retired from the State of Uttarakhand.
- (c) "Retired Consolidation Personnel" means the retired Consolidation Personnel in the State of Uttarakhand from the erstwhile State of Uttar Pradesh.
- (d) "Available vacancy" means such vacancy which is vacant on the date of adjustment in relation to the sanctioned posts of Consolidation for the State of Uttarakhand.
- (e) "Rules" means the Uttar Pradesh Consolidation Department Clerk and Drawing Staff Rules, 1980, the Uttar Pradesh Consolidation Officer Rules, 1978, the Uttar Pradesh Revenue Consolidation (Higher) Service Rules, 1992, the Uttar Pradesh Revenue Consolidation Service Rules, 1992 and the Uttar Pradesh Consolidation Lekhpal Service Rules, 2006, and the said Rules as amended from time to time:
- Provided that after the adjustment, the Uttarakhand Consolidation Officers and Assistant Consolidation officers Service Rules, 2018 & the Uttarakhand Revenue Consolidation (Higher) Service Rules, 2021 shall be applicable and in respect of others, the service rules of the erstwhile State of Uttar Pradesh will remain in force until the service rules in this regard are promulgated by the State of Uttarakhand.
- (f) "Commission" means "Uttarakhand Public Service Commission" for Group A and B posts and "Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission" for Group C posts;
- (g) "Consolidation Department" means 'Uttarakhand State Consolidation Department':
- (h) "Government" means the Government of the State of Uttarakhand;
- (i) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.
- (j) "Member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to these rules:
- (k) "Service" means Uttarakhand Consolidation (Revenue Department) Service:

- (l) "Substantive appointment" means an appointment to a post in the cadre of the service, which is not an ad hoc appointment and is made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, after selection in accordance with the procedure for the time being prescribed by executive instructions issued by the Government.
- Eligibility For adjustment 4. (1) The Consolidation Personnel substantively appointed in the erstwhile State of Uttar Pradesh, who are working/posted in the Consolidation Unit of the State of Uttarakhand, shall be considered eligible for adjustment in the Uttarakhand Consolidation Department.
- (2) Such adjustment, after obtaining the consent of the concerned employee, shall be made against the post created in the state of Uttarakhand, on the basis of employee having been in service in the erstwhile State of Uttar Pradesh.
- Determination of conditions for Adjustment 5. (1) The personnel working in Consolidation shall be adjusted in the same pay scale/designation in which they are posted as per the previous state post status.
- (2) The date indicated in the order of adjustment in the Consolidation Establishment in Uttarakhand State shall be considered as the date of adjustment of the concerned employee in the Consolidation.
- Provided their seniority, promotion and other service matters shall be governed by the relevant service rules from the date of substantive appointment in the erstwhile State of Uttar Pradesh.
- (3) After adjustment in the State of Uttarakhand, the seniority of the concerned Consolidation personnel shall be as per the inter se seniority determined in the erstwhile State of Uttar Pradesh. In other cases, the seniority shall be determined on the basis of the date of their substantive appointment as per the 'Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 or Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002.
- (4) The calculation of earned leave/medical leave etc. of the personnel to be adjusted shall be done by adding it with the previously earned leave/medical leave etc. in the Consolidation Department.

(5) The GPF/NPS/EPF, etc., amounts of all eligible employees shall be transferred to their respective fund accounts. Withdrawal demands for GPF/NPS/EPF, etc., shall be made based on the balance previously deposited.

Deductions from previously taken loans/provident fund advances shall continue to be made under the same conditions determined before. Rules issued from time to time by the Government shall apply in this regard.

(6) On the date of adjustment, if any employee fulfils the eligibility criteria prescribed in the rules for confirmation, the Appointing Authority may confirm him after completion of the prescribed period.

(7) Various posts within the approved structure of the Consolidation Department are designated for direct recruitment or promotion. Adjustments against approved positions for direct recruitment or promotion shall be permissible only to the extent of the number of personnel/posts employed in the State of Uttarakhand from the erstwhile State of Uttar Pradesh and retired from the State of Uttarakhand.

(8) Those personnel who were employed in the State of Uttarakhand and whose dependents were appointed upon their death during service, such appointed deceased dependents shall also be included in the adjustment. The dependents of deceased personnel who died while working in the State of Uttarakhand and have not received the deceased dependent benefits till date, shall be employed/adjusted as deceased dependents by the Appointing Authority.

(9) Such personnel, who were working in the Consolidation units in the State of Uttarakhand and retired while serving in the State of Uttarakhand, shall be entitled to receive all retirement benefits.

Deemed to be 6.
appointed under
relevant service
rules

(1) The adjustment made under these rules shall be deemed to be an appointment made under the relevant rules from the date of substantive appointment in the Consolidation Department in their designation/pay scale.

(2) Personnel to be adjusted shall be asked to opt out as to whether or not they agree to adjustment under the provisions of these rules. If personnel wishes to return to their former State/department, Uttar Pradesh, the option shall be available for a period of one year from the date of notification of these rules. The personnel transferring to their erstwhile State, Uttar Pradesh/department, shall not be entitled to any compensation etc.

(3) After the formation of the State of Uttarakhand, the posts of Class IV in the State were declared as dead cadre Provided that in the consolidation units of Uttarakhand, the Class IV posts created by the erstwhile State of Uttar Pradesh shall be deemed to have been created for the Class IV employees currently working there until their retirement. Upon retirement/death of Class IV employees working on the said posts, the said posts shall automatically be deemed to have been created under outsourcing.

Repeal and
Saving

7. (1) Any rule in force immediately before the commencement of these rules, which were corresponded to these rules and were applicable to the consolidation personnel of the erstwhile State of Uttar Pradesh working in the State of Uttarakhand, are hereby repealed.

(2) Any order issued or any action taken under the rules repealed under sub rule (1) shall be deemed to have been issued or taken under the corresponding provisions of these rules.

Power to
remove
difficulties

8. The State Government may, for the purpose of removing any difficulty (the existence of which it is the sole decisive) in the implementation of any provision of these rules, make such general or special order as it may deem fit which it may consider necessary or expedient in the interest of fair dealing or public interest.

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग

अधिसूचना

19 मई, 2026 ई०

संख्या-502/XLI-B-1/2026/413/प्रशि०/2002 E-102311—तत्काल प्रभाव से कौशल विकास एवं सेवायोजन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, देहरादून में निष्प्रयोज्य अभिलेखों के निस्तारण हेतु “उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिलेखों का सृजन, अनुरक्षण, नकल एवं विनिर्दान (वीडिंग) नियमावली, 2011” समय-समय पर यथासंशोधित को उत्तराखण्ड व्यावसायिक परीक्षा परिषद के प्रयोजनार्थ अंगीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उपर्युक्त स्वीकृति के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जाय।

आज्ञा से,
सी०रवि शंकर,
सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

05 जून, 2026 ई०

पत्रांक-4273/तीन-153/च०सं०/2026-27—उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-250/XVIII(3)/2026-03 (07)/2016, दिनांक 26 मई, 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त की जाती हैं:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1—	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार
2—	चुडियाला मोहनपुर	भगवानपुर	भगवानपुर	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
संचालक चकबन्दी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

04 जून, 2026 ई०

संख्या—196 / XVII-B-1/2026-7(03)2026—राज्यपाल, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता एवं मान्यता के नवीनीकरण हेतु शर्तें एवं प्रक्रिया को विनियमित किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:—

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता संबंधी नियमावली, 2026

- | | | |
|--|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता संबंधी नियमावली, 2026 है।
(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। |
| परिभाषाएं | 2. | (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) "शैक्षणिक वर्ष" से बोर्ड का शैक्षणिक सत्र अभिप्रेत है;
(ख) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18, 2025) अभिप्रेत है;
(ग) "प्राधिकरण" से उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) अभिप्रेत है;
(घ) "बोर्ड" से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;
(ङ) "शैक्षणिक संस्थान" से इंटरमीडिएट स्तर तक का संस्थान जो बोर्ड के साथ सम्बद्ध हो, अभिप्रेत है;
(च) "अल्पसंख्यक समुदाय" से मुस्लिम या ईसाई या सिक्ख या बौद्ध या जैन या पारसी समुदाय अभिप्रेत है;
(छ) "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" से ऐसा शैक्षणिक संस्थान से है, जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित व संचालित हो तथा जिसे प्राधिकरण द्वारा इस रूप में मान्यता प्रदान की गई हो, अभिप्रेत है।
(2) शब्द और पदार्थ जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 में उन्हें दिये गये हैं। |
| अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया | 3. | (1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थान प्राधिकरण के वेब-पोर्टल www.usame.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। |

मान्यता हेतु अनिवार्य शर्तें

4.

(2) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने या इसके नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदन के साथ सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क डिजिटल रूप से ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 में सूचीबद्ध शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता या नवीनीकरण के लिए किए गये आवेदन की जांच करेगा और यदि आवश्यक समझे तो शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण करवाएगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा संस्थान को दी गई मान्यता या संस्थान का नवीनीकरण तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए ही वैध होगा।

शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, शैक्षणिक संस्थान द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज/सूचनाएं/अभिलेख के साथ, विवरण अपलोड किए जाएंगे—

(1) शैक्षणिक संस्थान को सेवा प्रदान की जाने वाली धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में जानकारी।

(2) (क) यदि संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र, उपविधियां (By-laws) तथा सोसाइटी के सदस्यों की सूची की प्रमाणित प्रति; अथवा

(ख) यदि संस्थान भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत न्यास के रूप में पंजीकृत है, तो न्यासियों की सूची की प्रमाणित प्रति एवं पंजीकृत न्यास विलेख अथवा

(ग) यदि संस्थान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है, तो निगमन प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन(MOA), संघ के अनुच्छेद (AOA) एवं कम्पनी के निदेशकों की सूची की प्रमाणित प्रति तथा सभी निदेशकों की कंपनी पहचान संख्या (CIN) एवं निदेशक पहचान संख्या (DIN)।

(3) शैक्षणिक संस्था के शासी निकाय (Governing Body) के सदस्यों की प्रमाणित सूची।

(4) इस तथ्य को स्थापित करने के उद्देश्य से कि शैक्षणिक संस्था मुख्य रूप से उस अल्पसंख्यक समुदाय के हित में कार्य करेगा जिससे वह संबंधित है, सोसाइटी/न्यास/कंपनी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को दर्शाने वाले दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति।

(5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा पारित संकल्प (Resolution) की प्रमाणित प्रति।

- (6) बोर्ड से संबद्धता (Affiliation) प्रमाणपत्र की प्रति।
- (7) शैक्षणिक संस्थान जिस भूमि पर स्थित है उस भूमि के स्वामित्व/पट्टे के अधिकार सिद्ध/स्थापित करने हेतु:-
 - (क) भूमि का विक्रय विलेख और विक्रय विलेख पर आधारित नामांतरण प्रमाणपत्र, या
 - (ख) भूमि हस्तान्तरण का अन्य दस्तावेज एवं उसके आधार पर नामांतरण प्रमाणपत्र या
 - (ग) भूमि का पंजीकृत पट्टा विलेख (Lease Deed)।
- (8) किसी वाणिज्यिक बैंक में संस्थान के नाम से खोले गए बैंक खाते का विवरण (स्टेटमेंट) की प्रति।
- (9) शैक्षणिक संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची तथा उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रति।
- (10) यह स्वघोषणा कि सोसाइटी/न्यास/कंपनी के किसी सदस्य/न्यासी/निदेशक ने साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने में भाग नहीं लिया है/कोई संलिप्तता नहीं है।
- (11) सोसाइटी/न्यास/कंपनी के स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड की प्रति।
- (12) सोसाइटी/न्यास/कंपनी के जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
- (13) सोसाइटी/न्यास/कंपनी के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- (14) सोसाइटी/न्यास/कंपनी के कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- (15) शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य का पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान पत्र।
- (16) शैक्षणिक संस्थान के भवन का अनुमोदित/स्वीकृत नक्शा एवं फोटोग्राफ।
- (17) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ द्वारा T.M.A. Pai Foundation & Ors Vs. State of Karnataka, W.P. (civil) 317 of 1993 decided on 31-10-2002 में दिए गये निर्णय के अनुसार, यह स्वघोषणा कि शैक्षणिक संस्थान का अल्पसंख्यक स्वरूप बनाए रखा जाएगा।
- (18) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों, गुणवत्ता और सामग्री के अनुरूप, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशिष्ट विषयों की चयन सूची।

नवीनीकरण की प्रक्रिया

5.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता अवधि समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना होगा:-

(1) यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि नियम 4 के अंतर्गत अपलोड किए गए दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, जिसे कि बाद के नवीनीकरणों के दौरान अद्यतन किया गया है, यदि कोई परिवर्तन हुआ है, तो संस्थान द्वारा संबंधित दस्तावेज अपलोड किया जाएगा।

(2) संस्थान द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत किए जायेंगे :-

(क) पिछले तीन वर्षों के बैंक खाते के विवरण (स्टेटमेंट) की प्रति;

(ख) संस्थान द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची तथा उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रति;

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की एक-एक प्रति बैलेंस शीट सहित;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की GST रिटर्न की एक-एक प्रति;

(ङ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की EPP रिटर्न की एक-एक प्रति;

(च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की ESI रिटर्न की एक-एक प्रति;

(छ) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, जिसमें शिक्षा प्रदान करने के प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधियों जैसे खेल, संस्कृति आदि में प्रदर्शन का भी विवरण हो;

(ज) शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य का पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान पत्र;

(झ) पिछले तीन वर्षों के प्रवेश रजिस्टर की एक-एक प्रति;

(ञ) यह स्व-घोषणा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के 15 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकित नहीं थे;

(ट) बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)।

मान्यता प्रदान करने
नवीनीकरण के लिए आवेदन
पर निर्णय

6.

(1) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने या मान्यता के नवीकरण हेतु किसी शैक्षणिक संस्थान से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करेगा और इस

उद्देश्य के लिए प्राधिकरण संबंधित जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की सहायता से संस्थान का निरीक्षण करवा सकता है।

(2) यदि प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शैक्षणिक संस्थान मान्यता/नवीनीकरण प्रदान करने के लिए अधिनियम एवं इस नियमावली में निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करता है, तो वह मान्यता/नवीनीकरण प्रदान करेगा अन्यथा, की दशा में वह शैक्षणिक संस्थान को अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन अस्वीकृति की सूचना देगा।

सूचना आदि की मांग

7.

प्राधिकरण किसी भी समय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के कार्यों से संबंधित कोई भी दस्तावेज या जानकारी (सांख्यिकीय या अन्य) मांग सकता है तथा संस्थान का निरीक्षण भी करा सकता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराएगा और निरीक्षण किए जाने की स्थिति में हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

मान्यता समाप्त करने की शक्ति

8.

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करने के पश्चात् किसी भी समय, प्राधिकरण, संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसी मान्यता समाप्त कर सकता है, यदि वह यह पाता है कि:-

(1) अधिनियम/इस नियमावली में उपबन्धित किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, या

(2) शुल्क, दान, अनुदान या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जाता है।

आज्ञा से,

डॉ० पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 196/XVII-B-1/2026-7(03)2026**, dated June 04, 2026 for general information:

Department of Minority Welfare

June 04, 2026

No. 196/XVII-B-1/2026-7(03)2026--In exercise of the powers conferred by section 19 of The Uttarakhand Minority Education Act, 2025, the Governor is pleased to accord this sanction to make the following rules for regulating the conditions and procedure for recognition and renewal of recognition of minority educational institutions in the State of Uttarakhand, namely.

THE UTTARAKHAND RECOGNITION OF MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS RULES, 2026

- | | |
|---|--|
| Short title and commencement | 1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Recognition of Minority Educational Institutions Rules, 2026.
(2) These rules shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint. |
| Definitions | 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires –
(a) “Academic Year” means an academic year of the Board;
(b) “Act” means The Uttarakhand Minority Education Act, 2025; (Uttarakhand Act No. 18 of 2025)
(c) “Authority” means the Uttarakhand State Authority for Minority Education (USAME);
(d) “Board” means the Board of School Education, Uttarakhand;
(e) “Educational institution” means an educational institution up to senior secondary/intermediate level affiliated with the Board;
(f) “minority community” means a community comprising either Muslims or Christians or Sikhs or Buddhists or Jains or Zoroastrians (Parsis);
(g) “minority educational institution” means an educational institution established and administered by a minority community and recognized as such by the Authority ;
(2) Words and expression used in these rules but not defined herein shall have the same meanings as assigned to them in the Uttarakhand Minority Education Act, 2025 |
| Procedure for seeking recognition as a Minority Educational Institution | 3. (1) An educational institution seeking recognition as a Minority Educational Institution shall submit an online application on the web-portal of the Authority i.e. www.usame.uk.gov.in |

Mandatory condition for recognition

(2) A fee, as determined by the Government, shall be digitally deposited online along with the application for recognition or renewal of a Minority Educational Institution.

(3) The Authority shall examine the application for recognition or renewal of a Minority Educational Institution as per the conditions enumerated in section 14 of the Act and get the educational institution inspected, if required.

(4) The recognition and renewal granted by the Authority shall be valid only for a period of three academic years.

4. While submitting the online application for recognition, the educational institution shall upload the details with following documents/informations/records:-

(1) Information about the religious minority community to be served by the educational institution.

(2) (a) if institution is registered as a Society under The Societies Registration Act, 1860, the Registration Certificate, the By-laws and certified copy of the list of members of the Society; or

(b) if institution is registered as a Trust under The Indian Trusts Act, 1882, certified copy of the list of Trustees and the registered Trust Deed; or

(c) if institution is registered as a Non-profit making company under Section 8 of The Companies Act, 2013, the Certificate of Incorporation, the Memorandum of Association, the Articles of Association and certified copy of the list of Directors of the company along with the Company Identification Number (CIN) and Director Identification Number (DIN) of all Directors.

(3) A certified list of members of the Governing Body of the educational institution.

(4) With a view to establishing the fact that the educational institution shall primarily serve the interest of the minority community to which it belongs, a certified copy of the document mentioning the aims and objectives of the Society/Trust/ Company.

(5) A certified copy of the resolution passed by the Society/Trust/Company for seeking recognition as a Minority Educational Institution.

(6) A copy of the Certificate of Affiliation with the Board.

(7) For establishing the ownership/lease rights of the land on which the educational institution is located -

(a) Sale Deed of the land and mutation certificate based on the Sale Deed; or

(b) Other instrument of transfer of land and mutation certificate based on such transfer; or

(c) Registered Lease Deed of the land.

(8) A copy of the statement of Bank Account opened in the name of the educational institution in a commercial bank.

(9) A certified copy of the list of teachers and non-teaching staff appointed by the educational institution and their educational certificates.

(10) A self-declaration that none of the members/ trustees/ directors of the Society/Trust/Company has been involved in disturbing communal/social harmony.

(11) A copy of the Permanent Account Number(PAN)Card of the Society / Trust /Company.

(12) A copy of the GST registration certificate of the Society/Trust/Company

(13) A copy of the Employees' Provident Fund (EPF) registration certificate of the Society/Trust/ Company.

(14) A copy of the Employees' State Insurance (ESI) registration certificate of the Society/Trust/ Company.

(15) Passport size photograph and ID Proof of the Principal of the educational institution.

(16) Approved map and photograp of the building of the educational institution

(17) In the spirit of' the judgement delivered by the eleven judges' bench of the Hon'ble Supreme Court in the TMA Pai Foundation Vs State of Karnataka, W.P. (civil) 317 of 1993 decided on 31-10- 2002, a self-declaration that minority character of the educational institution shall be maintained.

(18) In conformity with the standards, quality and content laid down by the Authority as per the provisions contained in sub-section (2) of section 3 of the Act, the choice of subjects specific to the religious minority community.

Procedure for renewal

5. An application for renewal of the recognition as a minority educational institution shall be submitted online at least three months prior to the expiry of the validity period. While submitting the online application for renewal, the Minority Educational Institution shall keep in mind the following points :-

(1) It shall be clearly indicated if there has been any change in the status of the facts mentioned in the documents uploaded under Rule 4 as updated during subsequent renewals, if any, and in case of a change, Institution shall upload the related documents.

(2) Institution shall submit the following documents online:-

(a) A copy of the statement of Bank Account for the previous three years.

(b) A certified copy of the list of teachers and non-teaching staff appointed by the institution and their educational certificates.

(c) A copy each of the last three financial years' Income Tax Returns along with the Balance Sheets.

(d) A copy each of the last three financial years' GST Returns.

(e) A copy each of the last three years' EPF Returns.

(f) A copy each of the last three years' ESI Returns.

(g) A copy each of the last three years' annual report of the minority educational institution mentioning performance in imparting education as well as performance in other activities i.e. sports, culture etc.

(h) Passport size photograph and ID Proof of the Principal of the educational institution.

(i) A copy each of last three years' admission register.

(j) A self-declaration that not more than fifteen percent students from non-minority community were enrolled in each of the last three academic years in the minority educational institution.

(k) No objection certificate from the Board.

Decision on the application for granting recognition/renewal

6. (1) On receipt of an online application from an educational institution for recognition as a minority educational institution or for the renewal of the recognition, the Authority shall satisfy itself about the veracity of information contained in the application and for this purpose it may get the institution inspected with the help of the officer-in-charge of Minority Welfare in the District concerned.

(2) If the Authority comes to the conclusion that the educational institution fulfills all the requirements enumerated in the Act and these rules for granting recognition/renewal, it shall grant the same, otherwise it shall inform the educational institution that the application has been rejected mentioning the grounds for rejection.

Calling for information
etc.

7. At any time, the Authority may call for any document or information (statistical or otherwise) relating to the functioning of the Minority Educational Institution and also get the institution inspected. The Minority Educational Institution shall provide the required documents/information within the period specified by the Authority and in case an inspection is to be conducted, provide all possible help to facilitate the same.

Power to Cancel of
recognition

8. At any time after granting recognition as a Minority Educational Institution, the Authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the institution, cancel such status if it finds
(1) violation of any of the conditions enumerated in the Act/these Rules; /or
(2) misutilisation of funds received through fees, donations, grants or through any other source of funding.

By Order,

Dr. PARAG MADUKAR DHAKATE,
Special Secretary.

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

21 मई, 2026 ई०

संख्या-397573/ई-69922/XIII-1/2026-03(2). 2003-एतद्वारा उत्तराखण्ड कृषि विभागान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक वेतन मैट्रिक्स रू० 78,800-2,09,200, लेवल-12 के पद पर कार्यरत श्री प्रदीप कुमार सिंह की नियमित चयनोपरान्त अपर कृषि निदेशक वेतन मैट्रिक्स रू० 123100-215900, लेवल-13 के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अतः सम्बन्धित अधिकारी तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक निदेशक, कृषि के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय-ज्ञाप

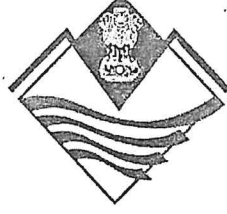
29 मई, 2026 ई०

संख्या-399882/ई-76263/XIII-1/2026-कृषि एवं कृषक कल्याण विभागान्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपर निदेशक वेतनमान रू० 37400-67000, ग्रेड वेतन रू० 8700/- संशोधित वेतनमान रू० 123100-215900, वेतन लेवल-13 के पद पर कार्यरत डॉ० राकेश कुमार सिंह के नियमित चयनोपरान्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, वेतनमान रू० 131100-216600 लेवल-13 के पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सम्बन्धित अधिकारी पदोन्नति पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

अर्पण कुमार राजू,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 11, 2026

No. 161/XIV-a-35/Admin.A/2016--Ms. Chandreshwari Singh, the then Judicial Magistrate, Laksar District Haridwar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.) Nainital is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 11.02.2026 to 08.03.2026.

NOTIFICATION

May 11, 2026

No. 162/XIV-a/33/Admin.A/2012--Shri Manoj Kumar Dwivedi, Civil Judge (Sr. Div) Kotdwar District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 02.02.2026 to 07.02.2026 with permission to prefix 01.02.2026 and suffix 08.02.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 11, 2026

No. 163/XIV-a-36/Admin.A/2012--Shri Ravi Shankar Mishra, the then Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar District Dehradun presently posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 20.01.2026 to 03.02.2026.

NOTIFICATION

May 11, 2026

No. 164/XIV-a/45/Admin.A/2012--Ms. Lalita Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar District Haridwar is hereby sanctioned earned leave 26 days w.e.f. 05.02.2026 to 02.03.2026 with permission to suffix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 11, 2026

No. 165/XIV/14/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Kumar Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 05.03.2026 to 13.03.2026 with permission to prefix 01.03.2026 to 04.03.2026 as Holi holidays.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 166/XIV-81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, the then 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar, presently posted as Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned:

1.	Child care leave	<u>For 20 days w.e.f. 27.10.2025 to 15.11.2025</u> with permission to prefix 26.10.2025 and suffix 16.11.2025 is Sunday holidays.
2.	Child care leave	<u>For 27 days w.e.f. 02.02.2026 to 28.02.2026</u> with permission to prefix 01.02.2026 and suffix 01.03.2026 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 167/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, Chief Judicial Magistrate, Champawat, is hereby sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 31.03.2026 to 16.04.2026.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 168/XIV-a/55/Admin.A/2012--Ms. Indu Sharma, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 09 days w.e.f. 05.03.2026 to 13.03.2026 with permission to prefix 03.03.2026 & 04.03.2026 Holi holidays and suffix 14.03.2026 & 15.03.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 169/XIV-a-42/Admin.A/2020--Shri Chetan Singh Gautam, the then Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal, presently posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 18.03.2026 to 02.04.2026 with permission to suffix 03.04.2026 as Good Friday holiday.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 170/XIV-a-28/Admin.A/2020--Ms. Jasmeet Kaur, the then Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 23.02.2026 to 12.03.2026 with permission to prefix 22.02.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 12, 2026

No. 171/XIV-a-47/Admin.A/2020--Ms. Akmal, the then Judicial Magistrate-II, Rudrapur District Udham Singh Nagar presently posted as Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned:

1.	Maternity Leave	For 180 days w.e.f. 01.05.2025 to 27.10.2025.
2.	Child Care leave	For 28 days w.e.f. 28.10.2025 to 24.12.2025 with permission to suffix 25.12.2025 to 01.01.2026 as Christmas & New Year's holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)**

कार्यालयादेश

04 मई, 2026 ई0

पत्रांक—0636/निलम्बन/2026—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलॉडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह अप्रैल, 26) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं वैधता	संरक्षित अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री रोहित सिंह पुत्र श्री सोनपाल सिंह, करनपुर, शाहजहाँपुर, उ.प्र.।	UP-2720250004742	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 04.05.2026 से दिनांक 03.08.2026 तक
2.	मो. हसीब पुत्र श्री अब्दुल हमीद, नियर प्रतिमा, सिनेमा, महातवाना, सिंदिला, हरदोई, उ.प्र.।	UP-3020080002563	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	मो. अनस पुत्र श्री कामिल, वार्ड. 10 इस्लाम नगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320250004650	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4.	श्री भूप सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, वार्ड नं. 11, अमरपुर मोहल्ला नरवास, शिवपुरी, म.प्र.।	MP-3320260000566	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5.	श्री ओम तिवारी पुत्र श्री अवधेश तिवारी, नोनारखडा, कुविला बेलग्राम, हरदोई, उ.प्र.।	UP-3020250010114	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6.	श्री प्रिय पुत्र श्री संजीत कुमार, आर्मी कैन्ट, फागपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002201	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री प्रयाग राम पुत्र श्री गिरधारी राम, कामाजुला, पी रेगॉड, बाराकोट, थाना लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0420070062880	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 04.05.2026 से दिनांक 03.11.2026 तक
8	श्री कृष्णाराम पुत्र श्री बच्ची राम, रोशाल, सुले, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320180001579	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना।	दिनांक 04.05.2026 से दिनांक 03.08.2026 तक

सुरेन्द्र कुमार,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 23, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 7765 9584 1756 में मेरा नाम पिकोश देवी (PINKOSH DEVI) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम पिकोश देवी (PINKOSH DEVI) से बदलकर प्रियंका (PRIYANKA) कर लिया है। जो मेरे पहचान-पत्र नं० NKN0232322 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रियंका (PRIYANKA) पत्नी श्री मोनू के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रियंका (PRIYANKA) पत्नी श्री मोनू
निवासी-101, खंजरपुर जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे, पुत्र SAKSHAM NEGI के स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश माता का नाम—INDU NEGI व पिता का नाम—MOHAN SINGH NEGI गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम—INDU DEVI है। जो माता के आधारकार्ड नं0. 718457873693 में दर्ज है, एवं पिता का सही नाम—MOHAN SINGH है। जो पिता के आधार कार्ड नं0. 969052888024 व पुत्र के जन्म—प्रमाण—पत्र पंजी सं0. MCDOLIR—0115—006785880 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को SAKSHAM NEGI S/O INDU DEVI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

INDU DEVI W/O MOHAN SINGH
निवासी—तेलीवाला रोड लेन नं0. 08,
कुडकावाला डोईवाला, देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी, पुत्री HANSIKA NEGI के स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश माता का नाम—INDU DEVI व पिता का नाम—MOHAN SINGH NEGI गलत दर्ज हो गया है। जबकि माता का सही नाम—INDU DEVI है। जो माता के आधारकार्ड नं0 718457873693 में दर्ज है एवं पिता का सही नाम—MOHAN SINGH है। जो पिता के आधारकार्ड नं0. 969052888024 व पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र पंजी सं0. MCDOLIR—0115—006785881 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को HANSIKA NEGI D/O INDU DEVI के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

INDU DEVI W/O MOHAN SINGH
निवासी—तेलीवाला रोड लेन नं0. 08,
कुडकावाला डोईवाला, देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 849144749796 में त्रुटिवश उसका नाम तेजस्वी (TEJAKSHVI) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम तेजस्वी चौधरी (TEJASVI CHOUDHARY) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B202505077230000002 एवं स्थाई निवास प्रमाण—पत्र संख्या UK25ES0100587084 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को तेजस्वी चौधरी (TEJASVI CHOUDHARY) पुत्री श्री अंकित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अंकित कुमार
निवासी: ग्राम—खेडा जट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—247670

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं० 330939659128 में त्रुटिवश उसका नाम प्रदीप कुमार (PRADEEP KUMAR) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दीपक कुमार (DEEPAK KUMAR) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B2025050782900000003 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं० UK25ES0100383559 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को दीपक कुमार (DEEPAK KUMAR) पुत्र सुशील के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुशील

निवासी—ग्राम औरंगाबाद, जिला—हरिद्वार,
राज्य—उत्तराखण्ड

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम सुशीला देवी से बदलकर संध्या सिंह कर लिया है। जो मेरे पुत्र रिपु दमन सिंह के हाईस्कूल अनुक्रमांक 5241150 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे संध्या सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुशीला देवी (मौजूदा पुराना नाम)

पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

निवासी बैंक कॉलोनी गौतम नगर उधमसिंहनगर,
पूर्व वार्ड नं. 6, वर्तमान वार्ड नं० 13, काशीपुर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार न०—7882 2767 5591 में त्रुटिवश मेरा नाम URAMILA DEVI दर्ज है एवं पेन कार्ड न०— CELPD3583E में भी URAMILA DEVI दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरा वास्तविक नाम जो कि पहचान प्रमाण पत्र न०— DGP0645457 में URMILA DEVI दर्ज है जो कि सही है भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम URMILA DEVI पत्नी कमल सिंह के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

URMILA DEVI पत्नी कमल सिंह

निवासी ग्राम भेटी, पो० ओ०—भेटी,

चमोली भेटी उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड न. 248766822103 में त्रुटिवश उसका नाम अवनी (Avni) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम संध्या (Sandhya) हैं जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2016:5-90069-006854 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को संध्या (Sandhya) पुत्री श्री मोहन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मोहन

निवासी मतलबपुर जिला हरिद्वार

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड न. 979375010569 में त्रुटिवश उसका नाम ध्वनि (Dhawani) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम यानवी (Yanavi) हैं जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2021:5-90069-005543 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को यानवी (Yanavi) पुत्री श्री मोहन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मोहन

निवासी मतलबपुर जिला हरिद्वार

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 5991 6696 7811 में त्रुटिवश मेरा नाम सैफ अली गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मौ0 सैफ अली खान (MOHD SAIF ALI KHAN) है। जो मेरे हाईस्कूल UNIQUE ID 8274561 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे मौ0 सैफ अली खान (MOHD SAIF ALI KHAN) पुत्र शहजाद अली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौ0 सैफ अली खान (MOHD SAIF ALI KHAN)

पुत्र शहजाद अली

निवासी-मोहनपुरा मौहम्मदपुर हरिद्वार-उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 688208401909 में त्रुटिवश उसका नाम गुनाज (GUNAZ) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अर्शी (ARSHI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B-2016: 5-90402-001378 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अर्शी (ARSHI) पुत्री मौ आजाद अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौ आजाद अहमद

निवासी-36, इब्राहिमपुरदेह, जिला-हरिद्वार,
राज्य-उत्तराखण्ड-247667.

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 478652327385 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम कान्हा (Kanha) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शिवम अवस्थी (Shivam Awasthi) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B-2023:5-01176-000004 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवम अवस्थी (Shivam Awasthi) पुत्र रजनी अवस्थी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रजनी अवस्थी पत्नी श्री कुलदीप अवस्थी

निवासी-लमगोंदी रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 8778 6664 5652 में त्रुटिवश उसका नाम LAV गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम लव कुमार (LOVE KUMAR) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 B202405079010000110 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं0 UK25ES0100449931 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को लव कुमार (LOVE KUMAR) पुत्र पिकी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पिकी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार

निवासी-बसेडी खादर लक्सर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 650350331854 में त्रुटिवश उसका नाम वेधिका (VEDHIKA) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वेदा जैन (VEDA JAIN) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 B-2021:5-90170-001559 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वेदा जैन (VEDA JAIN) पुत्री श्री भाविन जैन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

श्री भाविन जैन

निवासी-124, 04 राजेन्द्र नगर, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 227689635140 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम सीमा (SEEMA) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विभा देवी (VIBHA DEVI) है जोकि मेरे पेन कार्ड संख्या FCCPD3361L में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे विभा देवी (VIBHA DEVI) पत्नी श्री राजेश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विभा देवी पत्नी श्री राजेश

निवासी-2, विवेक विहार, देहरादून,

उत्तराखण्ड-248001

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं0 4637 2589 3289 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम रामकृष्ण चामोली (Ramkrishan Chamoli) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अमन चमोली (Aman Chamoli) है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं0 B-2020: 5-90028-001381 व स्थाई निवास प्रमाण-पत्र पंजी सं0 UK25ES0100535588 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को अमन चमोली (Aman Chamoli) पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गजेन्द्र प्रसाद

निवासी-म0नं0 11 पाटा बल्ला पोस्ट पौड़ी खाल

जाखणी धार टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारण कारणों से अपनी नाबालिग पुत्री का नाम रियांशी राजपूत से बदलकर श्रीविका सिसोदिया (Shreevika Sisodiya) कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2021 :5-90069-009078 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को श्रीविका सिसोदिया (Shreevika Sisodiya) पुत्री श्री योगेश कुमार सिसोदिया के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

योगेश कुमार सिसोदिया

निवासी 1292/A प्रीत विहार कॉलोनी रुड़की जिला हरिद्वार

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 7738 4945 1295 में उसका नाम मिवांश (MIVANSH) दर्ज है। लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम मिवांश (MIVANSH) से बदलकर विवांश आहूजा (VIVANSH AHUJA) कर लिया है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B-2020: 5-90069-001148 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरे पुत्र को विवांश आहूजा (VIVANSH AHUJA) पुत्र श्री मनीष आहूजा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मनीष आहूजा

निवासी-359/23 वेस्ट अम्बर तालाब रुड़की

जिला -हरिद्वार उत्तराखण्ड।